राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3880/2016

पूर्णा शंकर चौबीसा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.12.2016
आदेश की दिनांक : 09.09.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर हुई। बाद में आदेश दिनांक 18.02.1997 के द्वारा अपीलार्थी सीधी भर्ती के जरिये संस्कृत विषय में अध्यापक ग्रेड–।। के पद पर नियुक्त हुआ। इसके पश्चात वर्ष 2002 में संस्कृत संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयारी की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति आदेश दिनांक 06.02.2002 के द्वारा पातेय वेतन पर वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–। के पद पर की गई। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णयानुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.09.2016 के आदेश द्वारा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–। के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई, जो वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध थी। इसके पश्चात अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत आदेश दिनांक 07.12.2016 के द्वारा राज.वरि.उपा.सं.वि., थोरिया, राजसमंद पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–। के पद के लिए नियमित डीपीसी आयोजित नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2002–03 में रिक्तियां उपलब्ध होते हुए अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है, जो गलत है। इसी प्रकार व्याख्याता के पद के लिए भी पदोन्नति हेतु नियमित डीपीसी आयोजित नहीं की गई। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि रिक्तियों का

निर्धारण वर्ष 2002 से 2012 तक प्रतिवर्ष नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2002–03 के स्थान पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया गया है, जो गलत है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)